

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 62 /2025 दिनांक :11.02.2025

डॉ. टीना शर्मा (RJ00842), अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जयपुर महानगर-II को दिनांक 24.02.2025 से 06.03.2025 तक 11 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 22.02.2025 से 23.02.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. शर्मा की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जयपुर महानगर-II के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
10/2/25
11/02/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/12/2015/1205

दिनांक :11.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 544 दिनांक 07.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. टीना शर्मा (RJ00842), अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जयपुर महानगर-II
4. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(किराया अधिकरण), जयपुर महानगर-II
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II

मुकुलभा
11/02/25
सहायक रजिस्ट्रार